न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2015 पुनर्विलोकन

रिव्यू 812-II-15

मैयादीन पुत्र श्री दलुआ निवासी ग्राम राधेपुर तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

1. रतीराम पुत्र श्री भरोसा अहिरवार निवासी ग्राम राधेपुर तह. व जिला छतरपुर म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री एस. पी. चाकड़ - एड.
द्वारा आज दि. 16-4-15 को
प्रस्तुत
16-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16.4.15

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रक0 3994/1/2014/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–03–2015 के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत।

16/4/15

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

पुनर्विलोकन के संक्षेप में तथ्य :–

यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि भूमि 507, 508, 509, रकवा कं. 0.445, 0.235, 1.036 हें., स्थित मौजा ग्राम बरकौहा तह. व जिला छतरपुर म.प्र. का सीमाकंन कराये जाने हेतु तहसीलदार महोदय, छतरपुर के न्याायालय में धारा 129 म.प्र. भू.रा.सं. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसका प्रकरण कंमाक 13/अ–12/13–14 था तथा उक्त सीमांकन की कार्यवाही सरहदी कास्तकारौ को बिना सूचना दिये तथा विहित प्रकिया अपने बिना ही अनावेदक की भूमि का सीमांकन कर राजस्व निरीक्षक महोदय छतरपुर द्वारा दिंनाक 24.02.2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मान. न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की उक्त निगरानी में पारित आदेश दिंनाक 13.03.2015 बिना अभिलेंख मगाये अग्राय कर दी गई है। जिससे दुखित होकर रिव्यू आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

पुनर्विलोकन के आधार :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार तथा परवस होने से उक्त आज्ञायें अपास्तनीय है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 812–दो/15 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.2015	आवेदक की ओर से श्री एस0 पी0 धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक 2 की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3994–एक/2014 आदेश दिनांक 13.3.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरवलोकन प्रकरण कमांक 815–दो/2015 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3994–एक/2014 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.1.2003 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 812–दो/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरवलोकन में जो आधार बताये	

गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य